की संख्या व	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–124/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1) (A) के अंतर्गत
श्री प्रगास सिंह––विक्रेता
प्रति
श्री कपिलदेव सिंह––क्रेता

–:आदेशः–

. अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री प्रगास सिंह, पिता–स्व० फागु सिंह, ग्राम–मंगराही, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री कपिलदेव सिंह, पिता–कृष्णा सिंह, ग्राम–मंगराही, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमकण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक 405/दिनांक 27.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादा के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना गढवा एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त हैं प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के दखल–कब्जे में है

अतः अंचल अधिकारी, रमकण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदक/विक्रेता श्री प्रगास सिंह, पिता–स्व० फागु सिंह, ग्राम–मंगराही, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री कपिलदेव सिंह, पिता–कृष्णा सिंह, ग्राम–मंगराही, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–रमकण्डा, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

–:भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
मंगराही	124	पुराना–27 नया–133	पुराना–400 नया–988	0.15	उ०–पक्की सड़क, द०–नीज विक्रेता, पू०–आंगनबाड़ी एवं नीज विक्रेता, प०–नीज विक्रेता,
कुल रकबाः–				**0.15**	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.02.01 12:53:15 +05:30
Location: 192.168.245.160

Scanned with CamScanner